भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4368

दिनांक 29 मार्च, 2022/08 चैत्र, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

दिल्ली पुलिस की वर्दी से अशोक स्तम्भ चिन्ह् का हटना

4368. श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली पुलिस की वर्दी पर लगे अशोक स्तंभ के चिन्ह् को इंडिया गेट के चिन्ह् द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी को अपने स्थापना दिवस पर उक्त निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह अशोक स्तंभ का अपमान नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या राय है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): जी, नहीं।

(ख): राज्य पुलिस बल, जो "प्रेसिडेंट कलर" से सम्मानित होते हैं, अपने पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन से "निशान" (इनसिग्निया) पहनने के लिए अधिकृत होते हैं। चूंकि, दिल्ली पुलिस को "प्रेसिडेंट कलर" प्राप्त हो चुका है, इसलिए दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सभी रैंकों के पदाधिकारियों को 16 फरवरी, 2022 से इसके निशान को पहनने के आदेश जारी किए हैं। यह निशान दिल्ली पुलिस की मौजूदा वर्दी अथवा प्रतीक चिन्ह (लोगो) को प्रतिस्थापित अथवा परिवर्तित नहीं करता है, बल्कि यह इनके अतिरिक्त है।

(ग) और (घ): उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

******